03/2017/संख्या-202/94-स्टा०नि०-2-17-700(1028)/2016

प्रेषक,

सुधीन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 मई, 2017

विषय:- स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा अधिक स्टाम्प शुल्क धनराशि कोषागार में जमा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-1013/शि०का०लख०/2017, दिनांक 23-03-2017 एवं पत्र संख्या-87/शि०का०लख०/17, दिनांक 06-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इलाहाबाद स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा इलाहाबाद कोषागार में चालान संख्या-ए 120010 दिनांक 20-06-2016 के द्वारा दिनांक 17-06-2016 की स्टाम्प शुल्क की धनराशि रू० 10,38,06,841/- के स्थान पर 10,49,36,841/- त्रुटिवश जमा हो जाने के कारण अतिरिक्त जमा धनराशि रू० 11,30,000/- (ग्यारह लाख तीस हजार मात्र) स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन को वापस किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. वापसी की जाने वाली धनराशि की गणना की शुद्धता के संबंध में अपने स्तर पर संतुष्टि कर ली जायेगी।

4. उपरोक्त के संबंध में होने वाली वापसी चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखा शीर्षक ''0030 स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर-102-स्टाम्पों की बिक्री-90-घटायें-वापसियां-9001-स्टाम्प न्यायिकेत्तर की वापसियां'' के अंतर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाली जायेगी।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-160/दस-ई-9-2017, दिनांक 03-05-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-202(1)/94-स्टा०नि०-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, सप्रूमार्ग, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. उप महानिरीक्षक निबंधन, इलाहाबाद।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
6. गार्ड फाईल।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।